या0से0 1332 (एस0एस0)05

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम0एम0 घिल्डियाल

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एस0 चौहान, विपक्षी सं0 1 व 2 की ओर से श्री डी0एस0 पाटनी, एड0 एवम् विपक्षी सं0 3 की ओर से श्री सुधीर सिंह, एड0, को सूना गया।

याचिकाकर्ता की ओर से यह याचिका इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत की गई है कि विपक्षी गण को आदेषित किया जाए कि प्रतिपक्षीगण याचिकाकर्ता को पर्वतीय संवर्ग में संयोजित समझें और वरिष्ठता सूची में उसे यथास्थान अनुसूचित करें और तद्नुसार समस्त परिणामी लाभ सुलभ करायें।

बहस के दौरान् पक्षकारों द्वारा यह सहमति प्रकट की गयी कि इस याचिका का निस्तारण याचिका के अंगीकार करने के स्तर पर ही कर दिया जाए।

प्रतिपक्षी के विद्वान् अधिवक्ताओं ने न्यायालय को अवगत कराया कि प्रतिपक्षीगण याचिकाकर्ता के विकल्प पर अपना अंतिम निर्णय छः सप्ताह के अंतर्गत ले लेंगे और जब तक याचिकाकर्ता के विकल्प पर अंतिम निर्णय नही लिया जाता, पक्षकार मामलें में यथास्थिति बनाये रखेंगे।

तद्नुसार, याचिका का इसी स्तर पर अंतिम निस्तारण किया जाता है।

12.09.2005: (एम0एम0 घिल्डियाल, न्यायमूर्ति)
न0च0मे0: